

डिकी बमूकदमें इबतदाई

(आदेश 20 नियम-6.7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-सांडिला

मु0न0/8/2018

वादीगण-

1. भंवरलाल
2. मुलाराम पुत्रगण प्रभुराम
3. इन्द्राराम पुत्र सीताराम
4. राधा पत्नी सीताराम जातियान जाट निवासीगण अड़वड़ तहसील जायल हाल निवासी डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. नैनी देवी पत्नी रूघाराम
2. रामनिवास
3. प्रेमराम पुत्रगण रूघाराम
4. रामकुंवार
5. मुकेश पुत्रगण भुराराम
6. गीता
7. दिलखुश पुत्रिया भुराराम
8. बस्ती देवी पत्नी भुराराम
9. अशोक
10. नवीन पुत्रगण देवाराम
11. भवरी देवी पत्नी देवाराम
12. तुलछादेवी पुत्री रूघाराम जातियान जाट निवासीगण अड़वड़ तहसील जायल नागौर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-06.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 व 2 भंवरलाल व मुलाराम के सामलाती हक बंट में मौजा गेलोली का खेत ख नं 67 रकबा 43.07 बीघा में से 08 बीघा पूर्वी हिस्सा नजरीनकशानुसार, ख नं 63 रकबा 8.10 बीघा व ख नं 54 रकबा 26.19 बीघा में से 13.10 बीघा पश्चिमी भाग रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. वादी संख्या 3 व 4 इन्द्राराम व राधा के सामलाती हक बंट में मौजा गेलोली का खेत ख नं 67 रकबा 43.07 बीघा में से 16 बीघा दक्षिणी हिस्सा नजरीनकशानुसार, व ख नं 22 रकबा 10.06 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के सामलाती हक बंट में मौजा गेलोली का खेत ख नं 67 रकबा 43.07 बीघा में से 19 बीघा उत्तरी पश्चिमी हिस्सा नजरीनकशानुसार, ख नं 54 रकबा 26.19 बीघा में से 13.05 बीघा पूर्वी भाग नजरीनकशानुसार व ख नं 54 रकबा 26.19 बीघा में से 13.05 बीघा पूर्वी हिस्सा नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।
4. प्रतिवादी संख्या 2 रामनिवास व 4 रामकुंवार व 5 मुकेश के सामलाती हक बंट में मौजा गेलोली के खेत ख नं 54 रकबा 26.19 बीघा में से 0.04 बीघा दक्षिणी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादी भंवरलाल , भोलाराम, इन्द्राराम तथा प्रतिवादी रामकुंवार व रामनिवास ,अशोक, नवीन व प्रेमराम के सामलाती हक बंट में ख नं 67 रकबा 43.07 बीघा मेंसे 0.02 बीघा पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते हैं।
6. नोट - वादीगण भंवरलाल व मुलाराम का हिस्सा कौरपोरेशन बैंक शाखा नागौर के रहन है तो रहन मुक्त होने पर अमलदरामद किया जावे।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
जायल जिला नागौर

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख, तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06.06.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुद्दा	रुपये	पैसे	मुदायता
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन
खर्चा गवाहन			फीस कमी"नर
फीस कमी"नर			वाबत इजराय हुक्मीजान
वबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक
मुतफरिक			

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दर्शाया जायेगा कि यह खर्चा किस किस के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला- जायल, जिला नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- सांडिला

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/ 521

दिनांक-06.06.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर